न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 06/2022

वादी

1. ओखाराम पुत्र कृष्णरामजी जाति भील निवासी रोडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कृष्ण
2. सादुला पिसरान समरथाजी
3. चौथी पत्नि समरथाजी
4. गणेशा
5. नरसा पिसरान दलाजी
6. छगनाराम
7. पता
8. भमरा
9. भारता पिसरान समेलारामजी
10. दिनेश
11. भुपा
12. मोहन पिसरान आसुजी
13. धापु पत्नि आसुजी जातियान भील निवासीयान अमरापुरा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर
14. मृतक राजा पुत्र गेमाजी कौम भील साकिन अमरापुरा तहसील रानीवाडा के वारीसानः–
    14/1. जानुराम
    14/2. भीखाराम पिसरान राजाजी
    14/3. लखमी पुत्री राजाजी
    तमाम जातियान भील निवासीयान अमरापुरा तहसील रानीवाडा
15. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला–जालोर

दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित व भोपालसिंह राठौड।
2. प्रतिवादी संख्या 15 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

—: निर्णय :—

दिनांक 28.06.2022

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिनके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि सरहद मौजा भाटवास तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 14/3 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नबंर 87 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नबंर 92 रकबा 2.43 हैक्टर जुमले रकबा 3.37 हैक्टर की आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 व उगम पुत्री आसु के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 14 की मृत्यु हो चुकी है। तथा प्रतिवादी संख्या 14/1 से 14/3 उक्त प्रतिवादी संख्या 14 राजा के कायम मुकाम वारीस है तथा उक्त आराजी के खातेदार उगम पुत्री आसु भी लाऔलाद फौत हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 13 उक्त उगम की माता होने से उसकी वारीस है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/24—1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का प्रत्येक का 1/16—1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का प्रत्येक का 1/32—1/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 से 12 का प्रत्येक का 1/80—1/80 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 13 का उक्त आराजी की खातेदार उगम पुत्री आसु लाऔलाद फौत होने से बहैसियत खुद व उक्त उगम की वारीस के उक्त आराजी में 1/40 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 14/1 से 14/3 का 1/16 हिस्सा सामलाती व संयुक्त खातेदारी का है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 के बीच विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है तथा मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 काश्त की सुविधानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 के बीच विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। वादी ने दिनांक 28.1.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 ने आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवा कर उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा अलग बंट में प्राप्त करने का अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद पेश है।

2. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब वादी ने दिनांक 28.1.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 ने आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाने से मना कर दिया। उसके बाद [illegible] है।

3. इस्तदुआ वादी है कि विवा[illegible] रानीवाडा के खेत खसरा नबंर 87 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नबंर 92 रकबा 2.43 हैक्टर जुमले रकबा 3.37 हैक्टर आराजी का वादी व प्रति[illegible] संख्या 1 से 14/3 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर उक्त आराजी में से वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 को उनके हिस्से माफिक 1/2 हिस्सा अलग–अलग बंट में दिया जावे तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण हेतु भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा को आदेश फरमावें।

4. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 की ओर बाद तामिल समन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 15 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

5. दिनांक 06.04.2022 को न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा भाटवास पटवार हल्का डूंगरी तहसील रानीवाडा में खाता संख्या 12 के खसरा नम्बर 87, 92 रकबा क्रमश 0.94, 2.43 हेक्टेयर जूमले रकबा 3.37 हैक्टेयर आराजी के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2022/360 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2022/562 दिनांक 13.06.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। वादी व वादी के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेर्शिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	ओखाराम पुत्र कृष्णराम जाति भील सा. रोडा	92	0.46	1.30	बा.सो.	लाल	2.60
		87	0.43	0.385	बा.सो.		0.77
	कूल	2	—	1.685	—	—	3.37
2.	उगम पुत्र आसु हिस्सा	92	0.36	1.13	बा.सो.	हरा	2.26

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

	1/40, कृष्ण पुत्र समरथा हिस्सा 1/48, गणेशा पुत्र दला हिस्सा 1/16, चौथी पत्नि समरथा हिस्सा 1/48, छगनाराम पुत्र समेलाराम हिस्सा 1/64, जानुराम पुत्र राजा हिस्सा 1/24, दिनेश पुत्र आसु हिस्सा 1/40, धापु पत्नि आसु हिस्सा 1/40, नरसा पुत्र दला हिस्सा 1/16, पता पुत्र समेलाराम हिस्सा 1/64, भूपा पुत्र आसु हिस्सा 1/40, भमरा पुत्र समेला हिस्सा 1/64, भारता पुत्र समेला 1/64, भीखाराम पुत्र राजा हिस्सा 1/24, मोहन पुत्र आसु हिस्सा 1/40, लखमी पुत्री राजा हिस्सा 1/24, सादुला पुत्र समरथा हिस्सा 1/48 सा. भील खातेदार	87	1.47	0.555	बा.सो.		1.11
	कुल	2		1.685			3.37

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओखाराम पुत्र कृष्णरामजी जाति भील निवासी रोडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर	**बनाम**	1. कृष्ण 2. सादुला पिसरान समरथाजी 3. चौथी पत्नि समरथाजी 4. गणेशा 5. नरसा पिसरान दलाजी 6. छगनाराम 7. पता 8. भमरा 9. भारता पिसरान समेलारामजी 10. दिनेश 11. भुपा 12. मोहन पिसरान आसुजी 13. धापु पत्नि आसुजी जातियान भील निवासीयान अमरापुरा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर 14. मृतक राजा पुत्र गेमाजी कौम भील साकिन अमरापुरा तहसील रानीवाडा के वारीसानः– 14/1. जानुराम 14/2. भीखाराम पिसरान राजाजी 14/3. लखमी पुत्री राजाजी तमाम जातियान भील निवासीयान अमरापुरा तहसील रानीवाडा 15. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला–जालोर

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 06/2022

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 15 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 से 14/3 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0	बंटवाडे में आया रकबा (हैक्टे0 में)	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	ओखाराम पुत्र कृष्णराम जाति भील	92	0.[illegible]	1.30	बा.सो.	लाल	2.60

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

	सा. रोडा	87	0.43	0.385	बा.सो.		0.77
	कूल	**2**	—	**1.685**	—	—	3.37
2.	उगम पुत्र आसु हिस्सा 1/40, कृष्ण पुत्र समरथा हिस्सा 1/48, गणेशा पुत्र दला हिस्सा 1/16, चौथी पत्नि समरथा हिस्सा 1/48, छगनाराम पुत्र समेलाराम हिस्सा 1/64, जानुराम पुत्र राजा हिस्सा 1/24, दिनेश पुत्र आसु हिस्सा 1/40, धापु पत्नि आसु हिस्सा 1/40, नरसा पुत्र दला हिस्सा 1/16, पता पुत्र समेलाराम हिस्सा 1/64, भूपा पुत्र आसु हिस्सा 1/40, भमरा पुत्र समेला हिस्सा 1/64, भारता पुत्र समेला 1/64, भीखाराम पुत्र राजा हिस्सा 1/24, मोहन पुत्र आसु हिस्सा 1/40, लखमी पुत्री राजा हिस्सा 1/24, सादुला पुत्र समरथा हिस्सा 1/48 सा. भील खातेदार	92 87	0.36 1.47	1.13 0.555	बा.सो. बा.सो.	हरा	2.26 1.11
	कुल	2		**1.685**			3.37

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28.06.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला—जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested